रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2012/माघ 7, 1933

No. 32] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2012/MAGHA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 51(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'ग')भर्ती नियम, 2000 का जहां तक इसका संबंध अवर श्रेणी लिपिक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा में अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2010 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

   (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में समनुदेशित है।

   (ख) "काडर" से अवर श्रेणी लिपिक का काडर, अभिप्रेत है। प्रत्येक मंत्रालय के पास अवर श्रेणी लिपिक का अपना स्वयं पृथक और स्वतंत्र काडर होगा जिसमें अवर श्रेणी

लिपिक श्रेणी में, इन नियमों के उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट पदों की कुल संख्या समाविष्ट होगी।

(ग) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "आयोग" से इन नियमों के अंतर्गत काडरों के लिए कर्मचारी चयन आयोग या कोई अन्य भर्ती अभिकरण अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार गठित कर सके।

(ङ) " महालेखा नियंत्रक" से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में महालेखा नियंत्रक अभिप्रेत है और जिसमें इन नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा प्रधिकृत अपर महालेखा नियंत्रक या संयुक्त महालेखा नियंत्रक या उप महालेखा नियंत्रक या सहायक महालेखा नियंत्रक सम्मिलित है।

(च) "मंत्रालय" से भारत सरकार का मंत्रालय अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत इन नियमों के उपाबंध में विनिर्दिष्ट मंत्रालय के विभाग या कोई कार्यालय सम्मिलित हैं।

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों में उपाबध अनुसूची अभिप्रेत है।

(ज) "सेवा" से केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'ग') अभिप्रेत है।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड-वेतन या वेतनमान - उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान में वे होंगें जो इन नियमों से उपबध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. प्रोन्नति का विनियमन :

(1) अवर श्रेणी लिपिक के काडर में प्रोन्नति, इन नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट महालेखा नियंत्रक द्वारा विनियमित की जाएगी।

2(क) जहां प्रोन्नति ज्येष्ठता-सहउपयुक्तता पर आधारित है, वहां प्रत्येक मंत्रालय, अनुसूची के स्तंभ 12 के अनुसार पोषक श्रेणी में न्यूनतक अर्हक सेवा के साथ पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करने के लिए प्रत्येक वर्ष विभागीय प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और उसे महालेखा नियंत्रक को अग्रेषित करेगा।

(ख) उक्त चयन सूचियों में से महालेखा नियंत्रक नीचे उप पैरा(ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अभ्यर्थियों की संयुक्त चयनसूची तैयार करेगा।

(ग) ज्येष्ठता के क्रम में मंत्रालयों की चयन सूचियों से नामों का विलय करके सम्मिलित चयन सूची तैयार की जाएगी। सम्मिलित चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या महालेखा नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को मंत्रालयों में अपने-अपने काडर में उपलब्ध रिक्तियों की कुल संख्या पर निर्भर होगी। सम्मिलित चयन सूची में विभिन्न मंत्रालयों से अभ्यर्थियों की अंतर-सह-ज्येष्ठता, पोषक श्रेणी में उनके द्वारा की गई सेवा की अवधि और समय-समय पर सरकार द्वारा यथा अधिकथित इस विषय में ज्येष्ठता अवधारण करने के साधारण सिद्धांतों के निबंधनों में अवधारित की जाएगी:

परन्तु उसी मंत्रालय से अभ्यर्थियों की अंतर-सह-ज्येष्ठता, सम्मिलित चयन सूची में प्रतिधारित की जाएगी।

(घ) महालेखा नियंत्रक, सम्मिलित चयन सूची से मंत्रालयों को अभ्यर्थियों का आबंटन करेंगे।

3(क) जहां प्रोन्नति, विभागीय अर्हक परीक्षा पर आधारित है, वहां प्रत्यक मंत्रालय महालेखा नियंत्रक के निदेशों के अनुसार विभागीय अर्हक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उपयुक्त रूप से विचार किए गए अभ्यर्थियों की सूची अग्रेषित करेगा।

(ख) महालेखा नियंत्रक, समय-समय पर विभागीय अर्हक परीक्षा संचालित करेगा और सफल अभ्यर्थियों की यथासूची तैयार करेगा जिन्होंने महालेखा नियंत्रक द्वारा यथा अवधारित अंकों की विहित प्रतिशतता प्राप्त की है

(ग) उप पैरा (ग) के अनुसार तैयार किए गए सफल अभ्यर्थियों की सूची में से, नीचे उप पैरा (घ) के अनुसार उनकी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन सूची में अभ्यर्थियों की संख्या विभागीय अर्हक परीक्षा कोटा के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की कुल संख्या तक निर्बधित की जाएगी जब तक कि महालेखा नियंत्रक द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए।

(घ) चयन सूची में विभिन्न मंत्रालयों से अभ्यर्थियों की अंतर सह ज्येष्ठता पोषक श्रेणी में उनके द्वारा दी गई सेवा की अवधि के आधार और समय-समय पर सरकार द्वारा यथा अभिकथित इस विषय में ज्येष्ठता अवधारित करने के लिए साधारण सिद्धांतों के निबंधनों में अवधारित की जाएगी।

परंतु उसी मंत्रालय से अभ्यर्थियों की अंतर सह ज्येष्ठता चयन-सूची में प्रतिधारित की जाएगी।

(ङ) महालेखा नियंत्रक, चयन सूची में से मंत्रालयों को अभ्यर्थी को आबंटित करेगा।

6. स्थानांतरण - (1) अवर श्रेणी लिपिक, भारत के किसी भाग में सेवा करने के लिए दायित्वाधीन होंगे।

(2) महालेखा नियंत्रक का यदि समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह कारण लेखबद्ध करके अधिकारी के अनुरोध पर अवर श्रेणी लिपिक का स्थानांतरण उसी श्रेणी में एक मंत्रालय से अन्य मंत्रालय में कर सकेगा।

7. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

8. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बातत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणें, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य वशिष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
अवर श्रेणी लिपिक	* 717(2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-2020 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती हैं) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अवधारित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाल व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियां की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि को हो।
(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से **12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता** (ii) **कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की दर पर टंकण गति या कंप्यूटर पर हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट (अनुज्ञात समय 10 मिनट)** **(प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबाव पर 10500 केडीपी.एच/9000 के.डी.पी.एच**	हां, स्तभं 11 उपदर्शित सीमा तक	दो वर्ष टिप्पण: सीमित विभागीय अर्हक परीक्षा के माध्यम से और ज्येष्ठता के आधार पर अवर श्रेणी लिपिक के रूप में प्रोन्नत बहुकार्य कर्मचारिवृन्द से ज्येष्ठता के आधार पर कंप्यूटर पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा होगी।

के तत्स्थानी प्रति मिनट 35 शब्द आर 30 शब्द)		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
11	12
(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 85% (ii) 10% रिक्तियां समूह 'ग' कर्मचारिवृंद (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) में से 1800 रु. ग्रेड वेतन के कर्मचारियों में से भर्ती की जाएगी और जिन्होंने 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता उर्तीण की है और श्रेणी में विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। परीक्षा की पात्रता के लिए अधितक आयु सीमा पैंतालीस वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयु पचास वर्ष)। टिप्पण: यदि स्तंभ 11 की मद (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या की अपेक्षा ऐसे अन्य कर्मचारी परीक्षा अर्हित करते हैं तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पर पश्चातवर्ती वर्षों में उदभूत रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्व परीक्षा अर्हता किए हुए कर्मचारियों को उनसे पहले विचार किया जाए जो बाद में परीक्षा अर्हता करते हैं। (iii) 5% रिक्तियां पर समूह 'ग' स्टाफ (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) में से ज्येष्ठता सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएगी जिन्होंने 1800 रु. ग्रेड के पद में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।	प्रोन्नति: (i) 10% रिक्तियां समूह 'ग' स्टाफ (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) में से भरी जाएंगी जो ग्रेड वेतन 1800 रु. में हैं और जिन्होने 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता उत्तीर्ण की है और जिन्होंने विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है। परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयु 50 वर्ष) टिप्पण:1 यदि स्तंभ 11 की मद (ii) क अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या की अपेक्षा ऐसे अन्य कर्मचारी परीक्षा अहिर्त करते हैं तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पश्चातवर्ती वर्षों में उदभूत रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जो बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। (ii) 5 प्रतिशत रिक्तियों पर समूह 'ग' स्टाफ (बहुकार्य कर्मचारिवृद्ध) में से ज्येष्ठता सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएगी जिन्होंने 1800रु. के ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवा की है टिप्पण:2 जब तक महालेखा नियंत्रक द्वारा इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा छूट ना दी जाए, अवर श्रेणी लिपिक जिसने कम्प्यूटर पर विहित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है वह कोई वेतन वृद्धि पुष्टि या ज्येष्ठता अथवा विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति का पात्र नहीं होगा। प्रतिनियुक्ति - कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरी गई शेष रिक्तियां अन्य संगठित लेखा सेवाओं, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों, जो केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: लेखा नियंत्रक/उप महालेखा नियंत्रक - अध्यक्ष उप लेखा नियंत्रक - सदस्य ज्येष्ठ लेखा अधिकारी/वेतन और लेखा अधिकारी - सदस्य X. उप महालेखा नियंत्रक अध्यक्ष होगा, यदि मंत्रालय में कोई लेखा नियंत्रक नहीं हों जहां विभागीय प्रोन्नति होती है। XX. उप लेखा नियंत्रक को यथास्थिति, सहायक लेखा नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा यदि उपलेखा नियंत्रक उपलब्ध नहीं हों।	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए.-11020/2/2010/एमएफ. सी.जी.ए./आर.आर.]

सोनाली सिंह, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

उपाबंध

अवर श्रेणी लिपिक की स्वीकृत संख्या

क्रं.सं.	मंत्रालय/विभाग	पदों की संख्या
1.	कृषि	33
2.	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	34
3.	केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड	53
4.	रसायन और पेट्रो रसायन	2
5.	नागर विमानन और पर्यटन	9
6.	वाणिज्य और कपड़ा	14
7.	केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय	8
8.	उपभोक्ता कार्य और जन वितरण	24
9.	कोयला	3
10.	पर्यावरण और वन	9
11.	विदेश कार्य	6
12.	भूमि विज्ञान	8
13.	उर्वरक	3
14.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	3
15.	वित्त	21
16.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	42
17.	गृह कार्य	53
18.	मानव संसाधन विकास	25
19.	आई.एन.जी.ए.एफ.	4
20.	सूचना और प्रसारण	65
21.	सूचना प्रौद्योगिकी	0
22.	उद्योग	26
23.	श्रम और रोजगार	20
24.	विधि न्याय और कंपनी कार्य	18
25.	खान	32
26.	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	0
27.	कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन	23
28.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	1
29.	योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन	7
30.	विद्युत (ऊर्जा)	6
31.	ग्रामीण विकास	2

32.	सड़क परिवहन और पोत	23
33.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	15
34.	इस्पात	4
35.	समाजिक न्याय और रोजगार	2
36.	पूर्ति	20
37.	शहरी विकास	76
38.	जल संसाधन	23
	कुल	717

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2012

G.S.R. 51(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Civil Accounts Service (Group 'C') Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Lower Division Clerk in the Central Civil Accounts Service, namely:-

1. **Short title and Commencement.**— (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Lower Division Clerk Group 'C' post) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing authority" shall have the same meaning as assigned to in the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965;

(b) "Cadre" means the cadre of Lower Division Clerk. Each Ministry shall have its own separate and independent cadre of Lower

285 GI/12-2

Division Clerk comprising total number of posts as specified in the Annexure to these rules, in the grade of Lower Division Clerk;

(c) "Government" means the Government of India;

(d) "Commission" means the Staff Selection Commission or any other recruiting agency for the cadres covered by these rules, which the Government may constitute;

(e) "Controller General of Accounts" means the Controller General of Accounts in the Department of Expenditure, Ministry of Finance and includes Additional Controller General of Accounts or Joint Controller General of Accounts or Deputy Controller General of Accounts or Assistant Controller General of Accounts authorised by the Controller General of Accounts to exercise powers under these rules;

(f) "Ministry" means a Ministry in the Government of India and includes Departments of the Ministry or an Office specified in the Annexure to these rules;

(g) "Schedule" means Schedule annexed to these rules;

(h) "Service" means the Central Civil Accounts Service (Group 'C').

3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/pay scale.**— The number of posts, their classification and pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, educational qualification, etc.**— The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule annexed to these rules.

5. **Regulation of Promotion.**— (1) Promotion in the cadre of Lower Division Clerk shall be regulated by the Controller General of Accounts as prescribed under this rule.

(2) (a) Where promotion is based on seniority-cum-fitness, each Ministry shall hold a Departmental Promotion Committee meeting each year to consider all eligible candidates with minimum qualifying service in the

feeder grade as per column 12 of Schedule and prepare a select list of the candidates found fit for promotion in order of their seniority and forward the same to the Controller General of Accounts;

(b) From the said select lists, the Controller General of Accounts shall prepare a combined select list of candidates in accordance with the provisions contained in sub-para (c) below;

(c) The combined select list shall be prepared by merging names from the select lists of the ministries in order of seniority. The number of candidates to be included in the combined select list shall depend on the total number of vacancies available in respective cadre in the Ministries on a date specified by the Controller General of Accounts. The inter-se-seniority of the candidates from different Ministries in the combined select list shall be determined on the basis of length of service rendered by them in the feeder grade and in terms of general principles for determining seniority in this regard as laid down by the Government from time to time:

Provided that inter-se-seniority of the candidates from the same Ministry shall be retained in the combined select list;

(d) The Controller General of Accounts shall allocate candidates to the Ministries from the combined select list.

(3) (a) Where promotion is based on departmental qualifying examination, each Ministry shall, in accordance with the directive of the Controller General of Accounts, forward to it a list of candidates considered fit to appear in the departmental qualifying examination;

(b) The Controller General of Accounts shall conduct departmental qualifying examination from time to time and prepare a select list of successful candidates who secure a prescribed percentage of marks as determined by the Controller General of Accounts;

(c) From the list of successful candidates prepared as per sub-para (b), a select list of candidates in order of their seniority as per sub-para (d) below shall be prepared. The number of candidates in the select list shall be restricted to the total number of vacancies available under the departmental qualifying examination quota unless otherwise ordered by the Controller General of Accounts;

(d) In the select list, the inter-se-seniority of the candidates from different Ministries shall be determined on the basis of the length of service

rendered by them in the feeder grade and in terms of general principles for determining seniority in this regard as laid down by the Government from time to time:

Provided that inter-se-seniority of the candidates from the same Ministry shall be retained in the select list;

(e) The Controller General of Accounts shall allocate candidates to the Ministries from the select list.

6. **Transfer.**— (1) The Lower Division Clerks shall be liable to serve in any part of India.

(2) The Controller General of Accounts may, if satisfied that it is necessary or expedient in public interest so to do, by order, and for reasons to be recorded in writing, transfer a Lower Division Clerk on request by officer from one Ministry to the other in the same grade.

7. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may ,if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

8. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay /Pay Scale.
1	**2**	**3**	**4**
Lower Division Clerk.	717*(2010)*subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band -1 Rs. 5200-20200 +Grade Pay Rs. 1900/-.
Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service(Pension) Rules,1972.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
5	**6**	**7**	**8**
Non- selection.	Not applicable.	Between 18 and 27 years age(relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for	(i) 12th Class Pass or equivalent qualification from a recognised Board or University; (ii) A typing speed @ 35 words per minute in English **on Computer** or @ 30 words per minute in Hindi **on Computer**. (Time allowed-

		determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	10 minutes). (35 words per minute. and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
9	**10**	**11**	**12**
Yes, to the extent indicated in column11.	Two years. **Note:** Multi tasking staff promoted as Lower Division Clerk through limited departmental qualifying examination and on seniority basis is required to pass type test on	(i) **85%** by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) **10%** of the vacancies shall be filled from amongst the Group C staff(Multi tasking staff) in the Grade Pay of Rs. 1800/- and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade,	**Promotion**: (i) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group C staff(Multi tasking staff) in the Grade Pay of Rs. 1800/- and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of limited departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for

	computer conducted by Staff Selection Commission.	on the basis of limited departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is forty five years (fifty years of age for the Schedule Caste and the Schedule Tribe). **Note**: - If more of such employees than the number of vacancies available under item (ii) of column 11 qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) **5%** of the vacancies shall be filled on seniority – cum-fitness basis from	examination is forty five years (fifty years of age for the Schedule Caste and the Schedule Tribe). **Note 1**: If more of such employees than the number of vacancies available under item (ii) of column 11 qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (ii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority –cum-fitness basis from Group C staff(Multi tasking staff) who have three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800. **Note 2** : Unless exempted by orders issued in this behalf by the Controller General of Accounts, a Lower Division Clerk who has not

		Group C staff(Multi tasking staff) who have three years regular service in post with the Grade Pay of Rs. 1800.	qualified the prescribed type test on computer will not be entitled to any increments, confirmation or promotion by seniority or through any departmental examination. **Deputation:** Vacancies remaining unfilled by direct recruits through Staff Selection Commission may be filled through deputation by taking persons of appropriate grade from other Organised Accounts Services, Central Government, State Government or Autonomous Bodies which are fully funded by the Central Government or State Government Departments.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.			Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13			**14**
Group 'C' Departmental Promotion Committee Controller of Accounts/ Deputy Controller General of Accounts- **Chairman*** Deputy Controller of Accounts- **Member****			Not applicable.

Senior Accounts Officer/Pay and Accounts Officer-**Member** * Deputy Controller General of Accounts will be the Chairman, if there is no Controller of Accounts in the Ministry where Departmental Promotion Committee takes place. ** The Deputy Controller of Accounts may be substituted by the Assistant Controller of Accounts or Senior Accounts Officer or Pay and Accounts Officer, as the case may be, if the Deputy Controller of Accounts is not available.	

[F. No. A-11020/2/2010/MF.CGA/RR]

SONALI SINGH, Jt. Controller General of Accounts

ANNEXURE

SANCTIONED STRENGTH OF LOWER DIVISION CLERK

Sl.No.	Ministry/Deptt.	No.of posts
1.	Agriculture	33
2.	Central Board of Direct Taxes	34
3.	Central Boardof Excise and Customs	53
4.	Chemical & Petro Chemicals	2
5.	Civil Aviation & Tourism	9
6.	Commerce & Textile	14
7.	Central Pension Accounting Office	8
8.	Consumer Affairs & Public Distribution	24
9.	Coal	3
10.	Environment & Forest	9
11.	External Affairs	6
12.	Earth Sciences	8
13.	Fertilizer	3
14.	Food Processing Industries	3
15.	Finance	21
16.	Health & Family Welfare	42
17.	Home Affairs	53
18.	Human Resources Development	25
19.	I.N.G.A.F.	4
20.	Information & Broadcasting	65
21.	Information & Technology	0
22.	Industry	26
23.	Labour & Employment	20
24.	Law,Justice & Company Affairs	18
25.	Mines	32
26.	Non Conventional Energy Sources	0
27.	Personnel, Public Grievance & Pension	23
28.	Petroleum & Natural Gas	1
29.	Planning & Programme Implementation	7
30.	Power	6
31.	Rural Development	2
32.	Road Transport & Highway & Shipping	23
33.	Science & Technology	15
34.	Steel	4
35.	Social Justice & Employment	2
36.	Supply	20
37.	Urban Development	76
38.	Water Resources	23
	TOTAL	717

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.